

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 209 / 14ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 20.11.2014

1.रामगोपाल पुत्र झल्लीराम आयु 65 साल, जाति  
जाटव, निवासी ग्राम रठियनपुरा वार्ड नं0 5 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

---वादी

**बनाम**

1.तुलाराम, आयु 60 साल,  
2.मायाराम, आयु 58 साल  
3.मोहनलाल, आयु 56 साल पुत्रगण पातीराम, समस्त  
जाति जाटव, निवासीगण रठियन का पुरा परगना  
गोहद वार्ड नं0 5 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---प्रतिवादीगण

**निर्णय**

( आज दिनांक..... को पारित )

1. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मकान कस्बा गोहद के वार्ड नं0 5 नगर पालिका क्षेत्र रठियन का पुरा में स्थित है (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त मकान के रूप में संबोधित किया जायेगा) विवादित मकान का नगर पालिका परिषद द्वारा नक्शा तैयार किया गया था जो वादपत्र के साथ संलग्न है। वादग्रस्त मकान का निर्माण वादी के पिता झल्लीराम ने 133/58, 3/3 दिनांक 05.02.56 को विधिवत नगर पालिका परिषद गोहद से अनुमति प्राप्त कर मकान का निर्माण कार्य कराया गया था। वादी के पिता झल्लीराम को झल्लीराम की माई चिरोजाबाई ने ओल (गोद) लिया था तभी से झल्लीराम अपनी माई के साथ ही रहा और उनका अंतिम संस्कार इत्यादि झल्लीराम ने ही किया । झल्लीराम के अलावा अन्य कोई चिरोजाबाई का वारिस नहीं है और चिरोजाबाई से ही विवादित मकान झल्लीराम को प्राप्त हुआ था तभी से वह निरंतर निर्विग्न रूप से उसी में निवास

करते चले आ रहे हैं।

2. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि वादग्रस्त मकान झल्लीराम ने स्वयं निर्मित कराया था जो झल्लीराम के स्वामित्व व आधिपत्य का मकान था उसके पश्चात उक्त विवादित मकान वादी के स्वयं एवं उसके भाइयों के नाम से नगरपालिका परिषद गोहद में 1983 में नामान्तरण हो गया था। वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही वहैसियत स्वामी आधिपत्यधारी निवास करता चला आ रहा है व रामकिशोर व राजेन्द्र भी वादी के साथ निवास करते हैं। विवादित मकान में वादी का पिता के जीवनकाल से ही वहैसियत स्वामी व आधिपत्यधारी की हैसियत से कब्जा बर्ताव चला आ रहा था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण कर लिया है। जिससे वादी को हानि हो रही है वादी को प्रतिवादीगण से 2000/-रुपये माहवार मीन्सप्रोपिट प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण दबंग, झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जबकि वादी शिक्षित रिटायर्ड कर्मचारी है व लड़ाई झगडा नहीं चाहता है इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण ने वादी के मकान पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। वादी की पत्नी हृदय रोग एवं ब्लडप्रेसर से पीड़ित थी उसी अवस्था में प्रतिवादीगण ने वादी से दबंगी दिखाते हुए लट्ठ के बल पर हल्ला गुल्ला करते हुए गाली गलौच किया जिससे वादी की पत्नी को हृदय घात एवं दिमाग की नस फटने से मृत्यु हो गयी। दिनांक 18.08.14 को प्रतिवादीगण द्वारा पुनः वादी को धौंस कुछ अन्य जगह पर अतिक्रमण करने की देकर अतिक्रमण लगे जिसे रोके जाने पर झगडा फसाद करने को आमादा हो गये। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की आज्ञाप्ति प्रदान किए जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाये कि वह वादग्रस्त भवन के वादी के कब्जे में बाधा उत्पन्न न करें और जो अतिक्रमण प्रतिवादी द्वारा किया गया है वह हटाया जाये और दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अन्तःकालीन लाभ दिलाया जाये और प्रतिवादीगण विवादित भवन को विक्रय न करें।
3. प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 ने जबावदावा में वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि वादपत्र में वर्णित वादी का मकान कहां पर है ऐसा कोई नक्शा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। वादी के पिता द्वारा मंजूरी लेकर कब और कहां मकान बनाया था इसका कोई उल्लेख नहीं है। वादी के पिता झल्लीराम को उनकी माई चिरोंजाबाई ने कभी गोद नहीं लिया और झल्लीराम चिरोंजाबाई का वारिस नहीं है। वादी ने विवादित मकान के संबंध में कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है। मानचित्र वादी द्वारा विवादित मकान का नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाकर तैयार किया है वह वस्तुस्थिति एवं मौके के विपरीत होने से गलत है। वादी के पिता अपने भाग पर अपने मकान में जीवनकाल तक आधिपत्यधारी रहे और प्रतिवादीगण अपने पिता पातीराम के भाग के मकान पर काबिज होकर रह रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है। दो हजार रुपये प्रतिमाह वादी को नुकसान होने वाली बात गलत है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति ना होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है। वादी की पत्नी हृदय रोग एवं ब्लडप्रेसर से पीड़ित थी जिसका इलाज वादी ने नहीं कराया। चुन्नीराम जो गोहद के निवासी थे उनकी कोई संतान नहीं थी जिनका एक मकान रठियन का पुरा गोहद में स्थित था। मनोहरलाल वादी व प्रतिवादीगण के बाबा थे जो ग्राम कुम्हरौआ भिण्ड के रहने वाले थे और चुन्नीलाल के भानजे थे। चुन्नीलाल ने मनोहर को रख लिया था। अतः चुन्नीलाल और उसकी पत्नी चिरोंजीबाई की मृत्यु

के बाद मनोहरलाल को भवन प्राप्त हुआ और मनोहरलाल की मृत्यु के बाद भवन वादी के पिता झल्लीराम व प्रतिवादीगण के पिता पातीराम को प्राप्त हुआ। जिनके मध्य बंटवारा हुआ और वह आधे-आधे भाग पर रहने लगे। झल्लीराम की मृत्यु के बाद उसके भाग पर वादी और उसके भाई रामकिशोर व राजेन्द्र निवास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी के मकान के किसी भाग पर अतिक्रमण नहीं किया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं। अतः वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्न विरचित किए गए हैं। जिन पर प्राप्त विनिश्चय प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जा रहा है।

वादप्रश्न

विनिश्चय

1. क्या भवन क्रमांक 133/58, 3/3 स्थित वार्ड नं0 5 कस्बा गोहद जिला भिण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध अधिपत्य स्थापित किया गया है ?
2. क्या वादी उक्त भवन का प्रतिवादीगण से रिक्त अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?
3. क्या वादी प्रतिवादीगण से उक्त भवन का अन्तःकालीन लाभ 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है ?
4. सहायता एवं व्यय ?

// वादप्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 पर सकारण निष्कर्ष //

5. रामगोपाल वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित मकान उसके पिता झल्लीराम ने दिनांक 05.02.56 को नगर पालिका से अनुमति प्राप्त कर मकान का निर्माण कराया था। झल्लीराम को उसकी माई (मामी) चिरोंजाबाई ने अपना वारिस बनाया था और झल्लीराम चिरोंजाबाई के साथ ही रहता था जिसका अंतिम संस्कार झल्लीराम ने किया था चिरोंजाबाई के जीवनकाल में विवादित मकान झल्लीराम को प्राप्त हुआ था। तभी से वह विवादित मकान में निवास कर रहा है। मनोहरलाल पुत्र खलके ग्राम कुम्हरौआ जिला भिण्ड में रहते थे जहां उनकी ससुराल थी और चुन्नीलाल के मरने के बाद वह रठियनपुरा गोहद में आकर रहने लगे और गुपचुप तरीके से चिरोंजाबाई का विवादित मकान का आधा हिस्सा नगर पालिका में अपने नाम कराकर सन् 1962 में नक्शा बनवा लिया। प्रतिवादीगण ने विवादित मकान पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया है जिससे उसे क्षति हो रही है। दस्तोवजी साक्ष्य में वादी ने झल्लीराम को प्राप्त नोटिस प्र0पी-1 पेश किया है। जिसके अनुसार झल्लीराम को भवन निर्माण की अनुमति रिन्थू की गयी है। नगरपालिका के निर्माण की अनुमति प्र0पी-2 पेश की है। और मंजूरशुदा नक्शा प्र0पी-3 पेश किया है।
6. प्रतिवादी मोहनलाल प्र0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके बाबा मनोहरलाल थे। वादग्रस्त मकान चुन्नीलाल के नाम था जिनकी कोई संतान नहीं थी और चुन्नीलाल ने अपने भानजे मनोहरलाल को गोद लिया और वादग्रस्त मकान में अपने साथ रखा। चुन्नीलाल की पत्नी चिरोंजाबाई की मृत्यु के बाद वादग्रस्त मकान मनोहरलाल को प्राप्त हुआ और मनोहरलाल की मृत्यु के बाद वादग्रस्त मकान झल्लीराम व प्रतिवादीगण के पिता पातीराम को प्राप्त हुआ। दोनों का घर बंटवारा हुआ और वह आधे-आधे मकान में रहने लगे। झल्लीराम की मृत्यु के बाद विवादित मकान के आधे भाग पर वादी का और उसके भाई रामकिशोर व राजेन्द्र का निवास है और पातीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण निवास कर रहे हैं।

उनके द्वारा वादीगण के मकान में अतिक्रमण नहीं किया गया है और वादी को दो हजार रुपये का नुकसान नहीं हो रहा है। वादी ने विवादित मकान का कोई स्पष्ट नक्शा पेश नहीं किया है कि उसकी क्या स्थिति है। झल्लीराम को चिरोंजाबाई ने कभी गोद नहीं लिया।

7. झल्लीराम को चिरोंजाबाई द्वारा गोद लिए जाने के संबंध में वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। मात्र मौखिक रूप से कथन में गोद लेना बताया है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में इस सुझाव से इंकार किया है कि चुन्नीलाल का मकान मनोहरलाल पर आया था। लेकिन मनोहरलाल ने भी मुख्यपरीक्षण में वादी के कथन का खण्डन किया है कि विवादित मकान चुन्नीलाल से मनोहरलाल को प्राप्त हुआ था और प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि झल्लीराम ही चिरोंजाबाई का वारिस था। अपितु कथन किया है कि मनोहरलाल वारिस बन गया था। अतः वादी की मौखिक साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य से किया है। किस दिनांक को किसके समक्ष किस रीति से झल्लीराम को गोद लिया गया इस संबंध में वादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। जबकि इस तथ्य के सबूत का भार वादी पर ही था।
8. विवादित भवन के संबंध में रामगोपाल वा0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि विवादित भवन झल्लीराम के स्वत्व का था। जिसमें उसका अधिपत्य रहा और प्रतिवादी ने अवैध रूप से आधे हिस्से पर अपना नामांतरण करा लिया। किस प्रकार उक्त नामांतरण अवैध था इस संबंध में वादी ने कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।
9. विवादित भवन के संबंध में रामगोपाल वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि वर्तमान में विवादित मकान में वह तथा उसके भाई रह रहे हैं जिसका नक्शा प्र0पी-3 है और पैरा 8 में कथन किया है वह और प्रतिवादीगण अलग-अलग रह रहे हैं और प्रतिवादीगण जिस मकान में रह रहे हैं उसका नक्शामौका पेश नहीं किया है। अतः विवादित भवन पर रामगोपाल वा0सा01 ने वर्तमान में भी स्वयं का ही अधिपत्य होना बताया है और वर्तमान में प्रतिवादीगण जिस भवन में निवास कर रहे हैं वह नक्शा प्र0पी-3 से प्रथक होना बताया है। नक्शा प्र0पी-3 के भाग पर रामगोपाल वा0सा01 के कथनानुसार वही निवास कर रहा है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा किस प्रकार अतिक्रमण किया गया यह स्पष्ट नहीं होता है।
10. मनोहरलाल ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में चुन्नीलाल का मनोहर भानजा न होना स्वीकार कर मुख्यपरीक्षण में दिए कथन का खण्डन किया। अतः यद्यपि मनोहरलाल चुन्नीलाल का भानजा नहीं था परन्तु उक्त तथ्य तात्विक नहीं हैं क्योंकि वादी ने सीधे ही मनोहरलाल के पुत्र झल्लीराम को चुन्नीलाल की पत्नी द्वारा गोद लेना बताया है परन्तु उक्त तथ्य वह साबित नहीं कर सका है।
11. अतः प्रतिवादीगण रामगोपाल वा0सा01 के कथन के अनुसार ही नक्शा प्र0पी-3 से भिन्न प्रथक भाग पर निवास कर रहे हैं और नक्शा प्र0पी-3 के भाग पर वादी ने स्वयं का और अपने भाइयों का ही निवास होना बताया है जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भवन पर अवैध अधिपत्य स्थापित किया गया है जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अवैध अधिपत्य ही प्रमाणित न होने से वादी अन्तःकालीन लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी होना सिद्ध नहीं होता है।
12. अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2, 3 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।



// वादप्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष //

13. उपरोक्त वादप्रश्न पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वाद अस्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वाद अस्वीकार किया जाता है।
2. वादी स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का प्रकरण व्यय वहन करेगा। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)